न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 222/2025

01. अमीन खां पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी चक 1 एसडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के पिता खुदाबक्स पुत्र काबल खां के नाम से चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/26 के किला नं0 6,7, 14 ता 17 व मु0नं0 200/34 के किला नं0 2 ता 20 इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा बतौर बंदोबस्ती काष्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था । जबकि वादी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त रकबा जरिये विरासतन नामान्तरण वादी व उसके सहिस्सेदारों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। उक्त विरासतन नामान्तरण में वादी का नाम अमीन खां पुत्र खुदाबक्स दर्ज हुआ था। उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों में सहवन से वादी का नाम अमीन खां के बजाय अजीम खां दर्ज हो गया था। उक्त रकबा की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के अनुसार ही बन्दोबस्ती खातेदारी क्रमांक 1099 दिनांक 15.06.2006 में वादी का नाम अजीम खां पुत्र खुदाबक्स हो गया था। तत्पष्चात उसी अनुसार त्रुटिपूर्ण वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था जो निरन्तर राजस्व रिकॉर्ड में चलता रहा था। वादी के समस्त फोटो पहचान व दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, जॉबकार्ड, बैंक पासबुक आदि समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम अमीन खां पुत्र खुदाबक्स है जबकि वादी का उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अजीम खां पुत्र खुदाबक्स होने से वादी को काफी असुविधा हो रही है। वादी के फोटो पहचान के दस्तावेजों में नाम अमीन खां पुत्र खुदाबक्स व राजस्व रिकॉर्ड में अजीम खां पुत्र खुदाबक्स होने से राजस्व रिकॉर्ड व फोटो पहचान के दस्तावेज का आपस में मिलान नहीं हो पा रहा है। फोटो पहचान के दस्तावेज व राजस्व रिकॉर्ड में नाम में अन्तर होने के कारण वादी को समस्त सरकारी सुविधाओं, डिग्गी अनुदान, एमएसपी फसल बीमा, किसान सम्मान विधि आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः घोषणात्मक वाद पेषकर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/26 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17 व मु0नं0 200/34 के किला नं0 2 ता 20 इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अजीम खां की जगह अमीन खां की घोषणा कर दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में नामान्तरण, खातेदारी, आधारकार्ड, पैनकार्ड, पासबुक की प्रति प्रस्तुत की। विरासतन नामान्तरण में प्रार्थी का नाम अमीन खां ही अंकित है। प्रार्थी के सहिस्सेदार भाई यासीन पुत्र खुदाबक्स ने शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें लिखा है कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं खाजूवाला चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/26 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17 व मु0नं0 200/34 के किला नं0 2 ता 20 इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम अजीम की जगह अमीन खां संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अजीम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का अजीम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम अजीम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)